द्वारा ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

8वॉं तल, टावर–4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002, उत्तर प्रदेश

पत्रांकःटीएस–आईसीजेएस–01/2016 **दिनांकःलखनऊःजून 20, 2019**

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– यौन उत्पीड़न के लिए जॉच ट्रैकिंग के सम्बन्ध में ।

1. उपरोक्त विषय में संलग्न पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, गृह पुलिस अनुसाग–15 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या भा0स0 33/6–पु0–15/2019 दिनांक 29.05.2019 के द्वारा Government of India Ministry of Home Affairs (Women Safety Division) F.NO. 1(18)/ 2018-CCTNS(WS)23 के संलग्न पत्र दिनांक 25.02.2019 जो Interoperable Criminal Justice System [ICJS] / Investigation Tracking System for Sexual Offence (ITSSO) के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने एवं भारत सरकार द्वारा Interoperable Criminal Justice System [ICJS] / Investigation Tracking System for Sexual Offence (ITSSO) के पोर्टल की लॉग इन आई0डी0 उपलब्ध कराया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल पर दर्ज यौन अपराधों सम्बन्धी विवेचनाओं की ट्रैकिंग एवं मानिटरिंग की जा रही है, जिसे ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offence) कहा जाता है। उक्त मानिटरिंग थानों पर अथवा जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहॉं सीसीटीएनएस के VPN नेटवर्क पर https://icjs.gov.in/ITSSO से देखा जा सकता है। इसे देखने की SOP (Standard Operating Procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) संलग्न कर पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–94–2017–3 दिनांकः 06.06.2019 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा **"भारत सरकार द्वारा यौन अपराधों की विवेचना की मानिटरिंग एवं ट्रैकिंग"** हेतु निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

3. उक्त क्रम में निर्देशानुसार अनुरोध है कि जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा क्राइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी /जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) एवं मुख्य आरक्षी/ आरक्षी मोहर्रिर एवं उत्तरदायी अधिकारी की इस कार्यवाही व प्रकिया

में पूर्ण सूचना अंकित कराये जाने तथा नियमित पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को कृपया आप गंभीरता से लेने की कृपा करें।

4. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश इस निर्देश के साथ कि जनपद के समस्त थानों के कम्प्यूटर आपरेटर मुख्य आरक्षी/ आरक्षी मोहर्रिर एवं सीसीटीएनएस भिज्ञ पुलिस कार्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत करायें। इस मुख्यालय से किसी अपेक्षित सहयोग हेतु श्री विवेक कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ मो0नं0–7839858233 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

<u>**संलग्नक–यथोपरि।**</u>

20/6/2019

(शहाब रशीद खॉ)
पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त सचिव, गृह पुलिस अनुसाग–15 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या भा0स0 33/6–पु0–15/2019 दिनांक 29.05.2019 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त के साथ ही इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 07.05.2019 के अनुक्रम में अपने स्तर से जीआरपी आगरा एवं झॉसी को उपरोक्त प्रकरण में थानों के यूजर बनाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा एवं झॉसी को इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 07.05.2019 के अनुक्रम में उपरोक्त प्रकरण में थाने के यूजर बनाये जाने हेतु इस मुख्यालय से श्री विवेक कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ मो0नं0–7839858233 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
7. समस्त जोन/ परिक्षेत्र /जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश एवं थानों के मुख्य आरक्षी/आरक्षी मोहर्रिर को अपेक्षित कार्यवाही को कियान्वित कराये जाने हेतु।
8. श्री विवेक कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को उपरोक्त के अतिरिक्त इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 07.05.2019 के अनुक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश जीआरपी आगरा एवं झॉसी से समन्वय करते हुए थानों के यूजर बनाये जाने हेतु।
9. दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को पत्र क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने, ईमेल निर्गत व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश के अनुपालन में अगली नियत तिथि 10.07.2019

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण समयबद्व

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–2, पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–94–2017–3 दिनांकः जून 18, 2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे।
पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– भारत सरकार द्वारा यौन अपराधों की विवेचना की मानिटरिंग एवं ट्रैकिंग।

1. ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल पर दर्ज यौन अपराधों सम्बन्धी विवेचनाओं की ट्रैकिंग एवं मानिटरिंग की जा रही है, जिसे ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offence) कहा जाता है।

2. उक्त मानिटरिंग थानों पर अथवा जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ सीसीटीएनएस के VPN नेटवर्क पर **https://icjs.gov.in/ITSSO** से देखा जा सकता है। इसे देखने की SOP (Standard Operating Procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3. POCSO में **सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनपद** सोनभद्र, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, बिजनौर, बागपत, और हमीरपुर हैं। **संलग्नक-4**

जहाँ पाक्सो के मुकदमों का निस्तारण कम है उनमें जनपद लखनऊ, आजमगढ़, भदोही, फतेहपुर, देवरिया, कानपुर देहात, अमेठी और जौनपुर हैं।

4. **धारा 376 भा0द0वि0 से सम्बन्धित मुकदमों के निस्तारण** की समीक्षा की गयी। इसमें **सबसे अच्छे प्रदर्शन** करने वाले जनपद हमीरपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, सोनभद्र, सहारनपुर, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, बदायूँ, मुजफ्फर नगर और औरैया हैं।

376 भा0द0वि0 के मामलों में खराब प्रदर्शन करने वाले जनपद मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सीतापुर, कानपुर देहात, आगरा, रायबरेली, बरेली, लखनऊ, बहराईच, वाराणसी, गौतमबुद्व नगर और फतेहपुर हैं।

5. **पाक्सो** के अन्तर्गत 57 थाने हैं जिनकी सूची संलग्न की जा रही है। इन थानों द्वारा विगत 1 वर्ष में कोई भी उक्त अपराधों की विवेचना 2 माह के अंदर पूरी नहीं की गई है। जबकि 31 थानों द्वारा उक्त सभी विवेचनायें 2 माह के अंदर पूरी की गई है। **संलग्नक–1**

6. पाक्सो के अन्तर्गत 33 थानें हैं जिनकी सूची संलग्न की जा रही है। इन थानों द्वारा विगत 1 वर्ष में उक्त अपराधों की कोई भी विवचवना 2 माह के अन्दर पूरी नहीं की गई है। जबकि 8 थानों द्वारा उक्त सभी विवेचनायें 2 माह के अंदर 100% पूरी की गई है। यह विवेचनाधिकारियों के साथ–साथ पर्यवेक्षक अधिकारियों के भी शिथिल पर्यवेक्षण का ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे अपराधों का नियमित समयबद्व पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक–2

7. उपरोक्त द्वारा पूर्व निर्देश के अनुपालन के साथ ही **पाक्सो के अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 के मामलों** की समीक्षा की गयी है। **POCSO एवं धारा 376 भा0द0वि0 के मामलों सहित** पूर्व में विभिन्न अभियोगों के पंजीकृत मामलों करे के सम्बन्ध में प्रदान किये गये निर्देशों के उपरान्त भी **कतिपय जनपदों एवं थानों द्वारा अति निम्न स्तर का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, इसमें व्यापक सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।**

8. सभी संबधित अधिकारियों को उक्त अपराधों की विवेचना के संदर्भ में सीसीटीएनएस पोर्टल से ऑटोमेटेड संदेश 31 वें, 40 वें, 50 वें, 55 वें एवं 60 वें, दिन भेजा जाता है। इसके उपरान्त भी विवेचनाधिकारियों के साथ–साथ पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी संबधित नियमित रूप से अपराधों की समीक्षा करें। जिससे 2 माह के अंदर ऐसी सभी विवेचनाओं का समयबद्व निस्तारण हो सके। संलग्नक–3

<u>संलग्नक:यथोपरि।</u>

18/6

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, कार्मिक, प्रशासन, अपराध, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, 1090, लोक शिकायत, उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
4. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

[redacted]

307

<u>द्वारा ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण</u>

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

8वाँ तल, टावर–4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002, उत्तर प्रदेश

पत्रांक:टीएस–आईसीजेएस–01/2016 **दिनांक:लखनऊ:मई 31, 2019**

सेवा में,

श्री विवेक कुमार,
प्रोग्रामर ग्रेड–2
<u>उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।</u>

विषयः– **Interoperable Criminal Justice System [ICJS] से सम्बन्धित सूचना/टिप्पणी उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

सन्दर्भः– संयुक्त सचिव, गृह पुलिस अनुसाग–15 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या भा0स0 33/6–पुव–15/2019 दिनांक 29.05.2019
समांक पत्र दिनांकित 15/03/2019 एवं आपका सन्दर्भ 19.03.2019

ज्ञातव्य हो कि वीपीएन पर संचालित डिजिटल पुलिस पोर्टल के Interoperable Criminal Justice System [ICJS] हेतु एनसीआरबी द्वारा नामित प्रदेश स्तरीय यूजर एवं पासवर्ड इस मुख्यालय के समांक जनपदों को उपलब्ध कराया गया है इस हेतु पोर्टल पर यूजर बनाने गये हैं जिससे सम्बन्धित विभिन्न कार्यवाहियाँ थाना स्तर तक प्रचलित हैं।

2– इस परिप्रेक्ष्य में संलग्न के निम्न सन्दर्भ पर बिन्दुवार अपनी आख्या/टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

- **Government of India Ministry of Home Affairs (Women Safety Division) F.NO. 1(18)/2018-CCTNS(WS)23 के पत्र दिनांक 25.02.2019 Investigation Tracking System for Sexual Offence (ITSSO)** के साथ संयुक्त सचिव, गृह पुलिस अनुसाग–15 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या भा0स0 33/6–पुव–15/2019 दिनांक 29.05.2019 के अनुकम में आप द्वारा उपलब करायी गयी आख्या दिनांक 19.03.2019 पर शासन के पत्र के कम में आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- **Development of ICJS introperatibility Webservice for Court से सम्बन्धित मेल व संलग्नक**
- **Transfer user Faculty Rolled Out Under ICJS for state and District admins से सम्बन्धित मेल व संलग्नक सहित**

<u>**संलग्नक–यथोपरि।**</u>

(सुशील कुमार गंगा प्रसाद)
पुलिस उपाधीक्षक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः–
1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाये, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned by CamScanner

2207

3064

306

फैक्स/ महत्वपूर्ण

संख्या- भा0स0 33 /6-पु0-15/2019

प्रेषक,

सुनील कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-15 लखनऊ दिनांक २१ अप्रैल मई 2019

विषय- यौन उत्पीड़न के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव गृह को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित श्री अनिल सुब्रहमणियम निदेशक, महिला सुरक्षा प्रभाग ,गृह मंत्रालय ,भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र संख्या 1(8)/2018-सीसीटीएनएस (डब्लूएस)/23 दिनांक 25-2-2019 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यौन उत्पीड़न के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली के संबंध में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार ICJS /ITSSO (Investigation tracking system for sexual offences) के संबंध में कार्यवाही कराये तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या भारत सरकार द्वारा Interoprable criminal justice system (ICJS) ICJS /ITSSO (Investigation tracking system for sexual offences) के पोर्टल की लागइन आई0डी0 उपलब्ध करायी गयी है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश
29/5/19

संख्या- /6-पु0-15/2019तददिनांक

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं ,उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

CO, CCTNS

COTS
30/5/19

30/5/2019

SP/AD
30/5/19

ICJS

Scanned by CamScanner

F. No. 1(8)/2018-CCTNS(WS)/23
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Women Safety Division)

New Delhi, dated 25th February 2019

To,
Principal Secretary/Secretary
Home Department
(all States/UTs)

Sub: Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) – reg.

Sir/Madam

I am directed to invite attention to the DO letter no. 15011/38/2013-WS-II-Vol-V dated 4th February 2019 from Punya Salila Srivastava, Joint Secretary (Women Safety), MHA and state that Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) portal, https://icjs.gov.in/ITSSO is now available for use by State Police/Law Enforcement Agencies. ITSSO is a module under Interoperable Criminal Justice System (ICJS), using Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS), for facilitating compliance with the Criminal Law (Amendment) Act 2018 stipulating completion of investigation within a period of two months in cases of rape.

2. ITSSO is an online analytics portal available for the law enforcement agencies with drill-down feature up-to FIR level starting from national level. ITSSO has following other features:

i. Offences covered include Section 376 (all sub sections) of IPC and Sections 4 & 6 of POCSO Act.
ii. Data pertains from 21st April 2018 i.e. since Criminal Law (Amendment) Act 2018 came into force.
iii. Data from State Data Center (SDC) is synched in near-to-real-time with ITSSO.
iv. Generates reports and dashboards for State leadership on ageing of cases and also flags pendency at district and police station level to expedite resolution
v. A cloud based product with easy user interface
vi. Available to all States/UTs on NIC Network
vii. A mission mode initiative for safety of women

3. The login ID issued to the State/UT Police for ICJS shall be the login ID for ITSSO portal also. It is also stated that since the ITSSO data is based on CCTNS data, MHA has requested all States/UTs to ensure that:

i. CCTNS application is deployed in all police stations

ii. Data is captured using the CCTNS application especially in respect of sexual offences and is regularly updated and shared centrally with CCTNS National Data Center

iii. Reconcile the data available in ITSSO with data available in SDC

It is requested to complete the same for enriching the data in ITSSO.

4. In order to ensure intended benefits of ITSSO accrue to Police Officers in the State/UT handling investigation in sexual offences, it is requested to issue suitable orders to State Police to create awareness about ITSSO and providing adequate training on the ITSSO portal. If any State/UT requires, MHA would nominate officers for training of police at State level. For any further clarifications in this regard, email may be sent to cctns-mha@gov.in and shashi_kant@nic.in .

(Anil Subramaniam)
Director (WS)
Phone: 011-23094483

Copy To:

1. Director General/Inspector General of Police – All States/UTs
2. CCTNS Nodal Officer – All States/UTs
3. Sh. Ram Phal Pawar, Director, NCRB, BPR&D Complex, Mahipalpur, New Delhi
4. Dr. B. N. Shetty, CTO, MHA
5. Sh. Shashikant Sharma, HOD-ICJS, NIC, CGO Complex, New Delhi

Scanned by CamScanner